राजस्थानी भाषा को मान्यता :औचित्य क्या है: शशिकुमार पारीक

राजस्थान एवं राजस्थानी भाषा : इतिहास, विकास व प्रभाव

भारतवर्ष के पश्चिमी खण्ड पर स्थित राजस्थान प्रदेश अनेक विविधताओं के कारण प्राचीन समय से ही लोकविश्रुत रहा है। इस मरु-भाग को 'राजस्थान' नाम से सर्वप्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अभिहित किया। इससे पूर्व राजपूतों के आधिक्य के कारण इसे अंग्रेजी शासनकाल में 'राजपूताना' के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। एकीकरण से पूर्व देशी राजपूत रियासतों को अलग-अलग रजवाड़ों के रूप में भी जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान इक्कीस देशी राज्यों में विभाजित था।

कर्नल टॉड द्वारा प्रयुक्त 'राजस्थान' शब्द नवीन नहीं है। 'राजस्थान' शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 'राजस्थानियादित्य' विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसन्तगढ़ (सिरोही) के शिलालेख में उपलब्ध हुआ है। इसके अनंतर 'मुहणौत नैणसी री ख्यात' तथा 'राजरूपक' में भी राजस्थान शब्द व्हवहृत हुआ है। 'राजरूपक' में राजस्थान शब्द प्रदेशवासी न होकर राजस्थानी के रूप में व्हवहृत हुआ है।

प्रदेश के नाम साम्य के आधार पर ही राजस्थान की भाषा 'राजस्थानी' कहलाती है। राजस्थानी का प्राचीन नाम मरुभाषा था। इसके अतिरिक्त भी 'मरुभूमि भाषा' 'मारुदेशीय भाषा' 'मरुवाणी' 'मारवाडी' 'डिंगल' आदि इसके कई नाम रहे है। मरुभाषा से संबंधित प्रथम उल्लेख जैन यति उद्योतन सूरि रचित 'कुवलयमाला' पुस्तक में प्राप्त होता है। प्रस्तुत पुस्तक का रचनाकाल नौवी सदी के मध्य माना जाता है। 'विक्रम की नौवीं सदी से राजस्थानी का यह मरुभाषाई स्वरूप प्रचलित हो चुका था।'

राजस्थानी भाषा भारतवर्ष के एक विशाल भू भाग की भाषा रही है, इसलिए अनेक सीमावर्ती प्रांतों की भाषाओं के प्रभाव को लक्ष्य कर ही डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, नागर अपभ्रंश को, श्री सूर्यकरण जो पारीक अवन्ती अपभ्रंश को, डॉ. हीरालाल माहेश्वरी गुर्जरी अपभ्रंश को तथा डॉ. नामवर सिंह व उदय नारायण तिवारी शौरसैनी अपभ्रंश को इसका उद्गम स्त्रोत मानते हैं। डॉ. मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार अपभ्रंश के सभी सत्ताईस रूपों में शौरसैनी अपभ्रंश का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है।

राजस्थानी को प्राचीन समय से ही एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता रहा है। यह एक सशक्त एवं संपूर्ण भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है तथा इसमें विपुल मात्रा में साहित्य रचा गया। 'जूनी राजस्थानी' के रूप में राजस्थान, मालवा,गुजरात, सिंध और पंजाब में इसका अखण्ड राज रहा था। सोलहवीं शताब्दी में प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास हुआ है। इसके पूर्व गुजराती राजस्थानी भाषा की ही बोली थी।

प्रारम्भिक राजस्थानी को भाषा साहित्य के इतिहासकारों, विद्वानों द्वारा राजस्थानी के आंचलित स्वरूपों की बोलियों के रूप में वर्गीकृत कर देने से यह भाषा आज भी राजनीतिज्ञों के दाव पेचों का शिकार बनी हुई है तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में संघर्षरत है। राजस्थानी भाषा को बोलियों में वगीकृत किया जाना इसके केन्द्रीय स्वरूप के लिए अप्रीतिकर सिद्ध हुआ है। भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोगों को इससे पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए हैं। वे राजस्थानी के वर्गीकृत आंचलिक स्वरूपों को लेकर कृत्रिम दुविधा जताते हैं कि किस बोली को राजस्थानी माना जाए ? जबकि उनका यह सोच मिथ्या है। विश्व की लगभग सभी समृद्ध भाषाओं के समकक्ष राजस्थानी के केन्द्रीय स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सकता है।

राजस्थानी भाषा के एकरूपता की कोई समस्या नहीं रही है। प्राचीन समय में रचित राजस्थानी साहित्य में सर्वत्र समरूपता विद्यमान है। राजस्थानी काव्य, ख्यात, वात, विगत, विवाहलों,पट्टा, रूका एवं राजस्थानी लोक साहित्य में प्रयुक्त राजस्थानी के 'एक स्वरूप' को स्पष्ट देखा जा सकता है। भाषा तत्वाद सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इस तथ्य का प्रबल समर्थन किया है कि 'पश्चिमी राजस्थानी को ही राजस्थानी नाम देना ठीक होगा।' ग्रियर्सन के भाषा वर्गीकरण को सुनीति बाबू ने पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभक्त किया है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि राजस्थानी के समक्ष 'मानक स्वरूप' जैसी कोई समस्या नहीं है।

विश्व की किसी भी श्रेष्ठ भाषा के समतुल्य अपने विपुल शब्द भण्डार तथा जीवंत साहित्य के कारण राजस्थानी भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में समादृत हुई है। राजस्थानी की प्राचीन गौरवशाली साहित्यिक परम्पराओं का अनेक भाषाओं में उल्लेख किया गया है। नीति, भक्ति, वीर, श्रृंगार तथा लौकिक साहित्य की धारा यहां सतत प्रवाहशील रही है। आधुनिक राजस्थानी गद्य एवं पद्य भी अपने प्राचीन यश को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। राजस्थान के बड़े भू भाग में संवैधानिक मान्यातावहीन भाषा के सैकड़ों अध्वसायी लेखक मातृभाषा में सृजनरत हैं।

विश्व की सभी भाषाओं को जातीय आधार पर अनेक भाषा परिवारों में वगीकृत किया गया है। मां के मुख से नि:सृत भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। भाषा एवं बोली में भी विद्वानों ने पर्याप्त अंतर किया है। किसी महाजाति की बोली अपने जातीय विकास के आधार पर बोली से भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है किन्तु बोली का दायरा लघु होता है। तभी कहा गया है 'बारह कोसा बोली पलटे' अर्थात बारह कोस के दायरे में बोलने वाले व्यक्तियों को परस्पर भाषायी विनिमय की सघन आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक समृद्ध भाषा का विकास बोली से ही हुआ है। 'बोली और भाषा का भेद साक्षेप और व्यावहारिक है। सामाजिक विकासक्रम की किन्हीं मंजिलों में किसी एक बोली के आधार पर अनेक बोलियों के क्षेत्र में परिनिष्ठित भाषा का विकास और प्रसार होता है।' Cont...Page2

www.myjhunjhunu.com/pareek

शासकीय भाषा एवं संविधान

संविधान के निर्माताओं के सामने भाषाओं के कारण विशेष समस्या आयी क्योंकि इस देश की विशाल जनसंख्या अनेक भाषाएं बोलती है। संविधान के निर्माताओं को शासकीय पत्राचार के माध्यम के रूप में इनमें कुछ भाषाओं को चुनना था, जिससे कि देश में अनावश्यक भ्रम न रहे। इनमें से हिन्दी यह दावा कर सकती थी कि 46 प्रतिशत लोग उसका यहां प्रयोग करते हैं। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए एक भाषा विहित की गई, किन्तु प्रादेशिक भाषायी समूह की सुविधा के लिए विधान मण्डलो (अनुच्छेद 345) और राष्ट्रपति ने हिन्दी से भिन्न एक या अधिक भाषाओं को राज्यों के शासकीय व्यवहार में प्रयोग के लिए मान्यता देने की अनुज्ञा दी। यह उपबंध राज्यों के विधान मण्डल के बहुमत के या राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुभाग के इस अधिकार को मान्यता देते हैं कि वे अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य के भीतर शासकीय प्रयोजन के लिए मान्यता दिलायेंगे।

मातृभाषा को किसी राज्य विधान मण्डल या शासन की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों व शहर के अधिकांश हिस्सों में परिवार के अन्दर, चौपाल व बाजार में, विधालय में, न्यायालय में, यहां तक कि शासकीय कार्यालयमें आम आदमी राजस्थानी भाषा ही बोलता है, चाहे शासकीय भाषा हिन्दी ही क्यों न घोषित कर रखी हो। राजनेताओं के आम चुनाव के समय या अन्यथा तथा अन्य अधिकारीगण को या वक्ताओं को जब ग्रामीण सभाओं को संबोधित करना होता है तो वे राजस्थानी को अधिक सहज, सुग्राह्य एवं प्रभावी मानते हुए राजस्थानी में ही संबोधित करते हैं, क्योंकि यह आमजन की भी है, हालांकि हिन्दी भी लोगों को समझ में आती है। मातृभाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अनुच्छेद 345 में राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा राजस्थानी को समस्त या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अंगीकार कर सकता है। इसके लिए उन्हें राजस्थान शासकीय भाषा अधिनियम की धारा 3 व 4 में आवश्यक संधोशन करना होगा। अनुच्छेद 347 भारतीय संविधान के अनुसार यदि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो महामहिम राष्ट्रपति का समाधान हो जाने पर वे यह निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए। इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य विधान मण्डल चाहे तो संबंधित अधिनियम में संशोधन कर ऐसे शासकीय प्रयोजन के लिए जो वह उचित समझे, राजस्थानी को प्रयोग करने हेतु हिन्दी के साथ-साथ द्वितीय भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है तथा राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अलावा अध्यादेश, नियम, अधिसूचना में भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त महामहिम राष्ट्रपति भी जनता द्वारा मांग करने पर तथा उनका समाधान होने पर कि यह जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाती है, उसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु शासकीय मान्यता देने हेतु निर्देश दे सकेंगे।

वर्तमान में 1991 की जनगणना के आधार पर हिन्दी लगभग 33 करोड़ 73 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पायी गई। राजस्थानी लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा सम्पूर्ण देश में बोली जाती है, इसके बाद बंगला तत्पश्चात् तेलगू, मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थानी भाषा को शासकीय भाषा हेतु मान्यता न देने का कोई औचित्य व आधार ही नहीं है। शासकीय भाषा के रूप में ब तक राजस्थान राज्य ही राजस्थानी को प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं देता है तो संविधान की आठवीं अनुसूचि में सूचीबद्ध भाषा में उसे सम्मिलित करने में बाधा आएगी।

राजस्थानी भाषा को शासकीय भाषा के उपयोग में अंगीकार करने में विरोध कुछ सीमावर्ती जिलों के निवासियों का रहता है, जिनकी भाषा सीमावर्ती राज्य की भाषा के कारण प्रभावित है जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिले तथा पंजाब से जुड़ा हुआ जिला है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उनकी आशंका निर्मूल है। राजस्थानी को राजभाषा बनाने में उनके हितों की अनदेखी नहीं हो सकती। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण या कर्मचारीगण को राजस्थान की शासकीय भाषा राजस्थानी करने पर कठिनाई का अनुभव जरूर होगा किन्तु ऐसा तो आज भी गैर हिन्दी भाषी अन्य राज्य आवंटित करने पर होता है, यदि उनकी स्वयंकी भाषा उक्त राज्य की शासकीय भाषा न हो। अहिन्दी भाषी अधिकारीगण को हिन्दी भाषी राज्य में यहां परेशानी उठानी पड़ती है। यह समस्या राजस्थानी भाषा के लिए कोई विशेष व अतिरिक्त समस्या नहीं है तथा यह सभी प्रान्तीयभाषाओं के लिए लागू होती है, जो कि शासकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राजस्थानी को शासकीय भाषा के रूप में व संविधान की आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित न करने से हिन्दी भाषा की ही हानि हो रही है, क्योंकि राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने से हिन्दी भाषा का विकास और वृद्धि होगी। यही संविधान निर्मात्री समिति का उद्देश्य आठवीं अनुसूचि बनाने में रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करे तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए और जहां आवश्यक व वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मूलत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। केन्द्रीय साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में न होने पर भी मान्यता दे हुए सन् 1992 से पुरस्कार देती आई है। ऐसी स्थिति में यदि राजस्थानी भाषा आठवी अनुसूची में सम्मिलित नहीं की जाएगी तो उसके रूप, शैली, पद, शब्द-भण्डार को हिन्दी भाषा कैसे आत्मसात करेगी ? हिन्दी को और अधिक समृद्धशाली व वैभवयुक्त बनाने के लिए राजस्थानी भाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दिया जाना न केवल राजस्थानी भाषा, अपितु हिन्दी भाषा के लिए भी अपरिहार्य है।

राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश व बिहार के युवकों को अन्य राज्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वहां क्षेत्रीय भाषा को शासकीय प्रथम भाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उन राज्यों की सेवा के लिए उस राज्य की शासकीय भाषा की परीक्षा में सफल होना आवश्यक है, जबकि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा में स्वयं की कोई प्रादेशिक भाषा प्रथम या द्वितीय राजभाषा न होने से समस्त हिन्दी भाषा प्रदेशों के युवकों को यहां रोजगार हेतु प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है, जिससे राजस्थान के युवकों के रोजगार के अवसर कम हो जाते है।

अत: 'राजस्थानी भाषा के उन्नयन, मान्यता एवं उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही समझने हेतु गठित समिति' के प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी को राज्य की द्वितीय शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए तथा प्रारम्भ में उसे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम व साहित्य के रूप में तथा ग्रामीण सभाओं व प्रचार प्रसार जन सम्पर्क में एवं तहसील स्तर तक के कार्यालयों में प्रयोग में लिया जाना चाहिए व कालान्तर में उसे न्यायालय समेत समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में प्रयोग में लिया जाना चाहिए। राजस्थानी में राजकीय विज्ञापन,अधिसूचना, सूचना, राजस्थानी पत्रकारिता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

www.myjhunjhunu.com/pareek